

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना


रायपुर, दिनांक 3/3/10

क्रमांक एफ 10-3/2010/16:- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 12(2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 272 के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये समस्त श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करता है।

2/ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 12(5) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 272 के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के संबंध में अपील हेतु समस्त सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को उनकी क्षेत्राधिकारिता में अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है।

3/ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 12(3) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम 272 के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाले कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण हेतु रुपये 10/- (वार्षिक) रजिस्ट्रीकरण शुल्क/नवकरण शुल्क निर्धारित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(अनुराग लाल)
उप सचिव,


छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

3/3/10

3. श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.)
10. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
11. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी (छ.ग.)
12. संचालक, जनसंपर्क रायपुर (छ.ग.)
13. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना की राजपत्र पत्र में प्रकाशित 25 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0/0


रूप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
3-3-10


NOTIFICATION

No. F 10-3/2010/16:- In exercise of the powers conferred by section 12(2) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government appoints all Labour Inspectors and Labour Sub Inspectors as Authorised officers for Chhattisgarh State for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule, 2008

2/ In exercise of the powers conferred by Section 12(5) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government appoints all Asst. Labour Commissioner and Labour Officers as Appeal Authority in their jurisdiction against the decisions of Authorised officer for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule, 2008

3/ In exercise of the powers conferred by Section 12(3) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government fixed Rs. 10/- as registration/renewal fee (annual) for the workers who fulfill conditions as prescribed for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule, 2008

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh


(Anurag Lall)

Deputy Secretary
Govt. of C.G. Labour Deptt.

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-3/2010/16

रायपुर दिनांक 3/3/10

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, रायपुर (छ.ग.)
7. मुख्य निरीक्षक, भवन एवं अन्य संनिर्माण, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. प्रभारी पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)